Mansfield Township Police Department
3135 Route 206
Suite 3
Columbus, NJ 08022
(609) 298-4411

Community * Duty * Integrity

Eric J. Campbell
Chief of Police

नागरिक शिकायत सूचना पत्र

Mansfield Township Police Department के सदस्य न्यायोचित, पभार्वी और निष्पक्ष ढंग से कानून लागू कराने रूपी सेवा देने के लिए पर्तिबद्ध हैं। यह सभी के सर्वोत्तम हित में है कि किसी विशेष अधिकारी के पदर्शन के बारे में आपकी शिकायत को न्यायोचित ढंग से और शीघतार् से हल किया जाए। आपकी शिकायत की जाँच के लिए पुलिस विभाग के पास औपचारिक पर्कियार्एँ हैं। इन पर्कियार्ओं का डिजाइन नागरिकों और कानून लागू कराने वाले अधिकारियों, दोनों के अधिकारों की रक्षा करने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है:

1. गुमनाम सर्ोतों सहित किसी भी व्यिक्त से अधिकारी / कमचार्री के बारे में कदाचार की रिपोर्ट या शिकायत किसी भी समय स्वीकार की जानी चाहिए।

2. शिकायतकर्ता की आयु, नस्ल, नस्ल, धर्म , लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता या आवर्जन स्थिति की परवाह किए बिना शिकायत स्वीकार किया जाएगा।

3. आपकी शिकायत को किसी उच्चाधिकारी या आंतरिक मामलों के लिए विशेष रूप से पर्शिक्षित अधिकारी के पास भेजा जाएगा जो मामले की विस्तृत और उद्देश्यपूर्ण जाँच करेंगे।

4. आपको घटना के बारे में विस्तृत विवरण दे कर जाँच में मदद करने के लिए कहा जा सकता है कि क्या हुआ था या / और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा जा सकता है।

5. कानून लागू कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सभी शिकायतों की विस्तृत जाँच की जाती है। यदि अनुरोध किया जाता है, तो आपको जाँच की स्थिति और उसके अंतिम परिणाम से अवगत कराया जाएगा, और आप संपर्क जानकारी पर्दान करते हैं। अधिरोपित सटीक सजा गोपनीय है, लेकिन जाँच के अंतिम परिणाम के बारे में आपको सूचित किया जाएगा, अथातर्:

    a. शिकायत की वैधता मान ली गई: सबूतों को देखने से पता चलता है कि अधिकारी ने किसी कानून; विनियमन; महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या पर्किर्या; एजेंसी पर्ोटोकॉल; परिचालन पर्किर्या; सिद्धांत; या पर्शिक्षण का उल्लंघन किया है।

    b. शिकायत निराधार पाया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित कदाचार नहीं हुआ था।

    c. दोषमुक्त कर दिया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित आचरण हुआ था, लेकिन किसी भी कानून; विनियमन; महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या पर्किर्या; एजेंसी पर्ोटोकॉल; परिचालन पर्किर्या; सिद्धांत; या पर्शिक्षण का उल्लंघन नहीं किया गया था।

    d. शिकायत अवैध है: आरोप को स्पष्ट रूप से साबित करने या खारिज करने में जाँच पयाप्तर् सबूतों का खुलासा करने में विफल रहा।

6. यदि हमारी जाँच यह दशातीर् है कि अपराध किया गया हो सकता है, तो काउंटी अभियोजक को सूचित किया जाएगा। आपको अदालत में गवाही देने के लिए कहा जा सकता है।

7. यदि हमारी जाँच के परिणामस्वरूप किसी अधिकारी पर विभाग के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो विभागीय सुनवाई में आपको गवाही देने के लिए कहा जा सकता है।

8. यदि हमारी जाँच दर्शाती है कि शिकायत निराधार है या अधिकारी ने ठीक से काम किया है
तो मामला बंद कर दिया जाएगा।

9. आंतरिक मामलों की जाँच गोपनीय है और सभी अनुशासनात्मक सुनवाई जनता के लिए बंद रहेगी, जब तक कि पर्तिवादी अधिकारी खुली सुनवाई का अनुरोध नहीं करता है।

10. आप मामले के बारे में किसी भी अतिरिक्त जानकारी या किसी भी पर्श्न के साथ Mansfield Township Police Department को 609.298.4411 पर कॉल कर सकते हैं।